THE NUMBER OF PRIVATE HOSPITALS RECOGNIZED BY GOVERNMENT

14/18/152 (14) Sh. NEERAJ SHARMA (Faridabad Nit):
Will the Health Minister be pleased to state: -

a) the number of private hospitals in the state recognized by the Government in which the patients got treated under Ayushman Bharat and CGHS together with the district wise details thereof;
b) the number of such hospitals having occupation certificate/structure certificate/neat and clean certificate/fire no-objection certificate and parking arrangement together with the district-wise details thereof; and
c) the number of such hospital not having the abovesaid certificates and parking arrangement together with the district-wise details thereof and the action taken or being taken by the Government in this regard?

ANIL VIJ, HEALTH MINISTER

Sir,

a) The total number of private hospitals empanelled in Haryana under Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojna (AB-PMJAY) as on 16.02.2024 are 662. The district wise list is annexed herewith as **Annexure A**. The detailed list is available at https://ayushmanbharat.haryana.gov.in/ hospital-empanelment/. The CGHS is a centrally sponsored scheme, which is not under the purview of State Health Authority, Haryana.
b) Under Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojna, all hospitals are empanelled by State Empanelment Committee, on the basis of applications received on the designated portal (Hospital Empanelment Module Portal of National Health Authority) and recommendation of the concerned District Empanelment Committee. All applicant hospitals have to upload a set of mandatory documents (as per check-list Annexed as **Annexure B**), which also includes Occupation Certificate, Building Map, Biomedical Waste Certificate and Fire NOC.
c) As per procedure, no hospital should be empanelled without such documents. Whenever any complaint regarding invalid or expired documents is received against any empanelled hospital in this regard, then, an investigation is carried out, and the hospital is de-empanelled, if documents are found lacking.

List of Private Empanelled Hospitals As on 16-02-2024	
Districts	**Private**
AMBALA	43
BHIWANI	31
CHARKI DADRI	21
FARIDABAD	20
FATEHABAD	19
GURUGRAM	27
HISAR	77
JHAJJAR	28
JIND	18
KAITHAL	16
KARNAL	45
KURUKSHETRA	32
MAHENDRAGARH	26
MEWAT	2
PALWAL	12
PANCHKULA	13
PANIPAT	54
REWARI	22
ROHTAK	36
SIRSA	52
SONIPAT	35
Yamuna Nagar	33
Grand Total	**662**

Checklist for the Hospital Empanelment under Ayushman Bharat Haryana

Name of Hospital:

District: **Hospital ID:**

S. No.	Licenses and certificate		Issuing Authority	Certificate number	Date of Issue	Validity Period from-To	Date of Renewal If Any	Verified and Checked
1	Application Form							
2	Approval of DEC							
3	a. Building Plan Approval b. Occupancy Certificate c. CLU							
4	Fire Department Clearance Certificate/Latest Fire Inspection Certificate							
5	Hospital Registration Certificate							
6	Specialties applied							
7	NABH/NQAS Accreditation Certificate							
8	No. of Beds							
9	Clinical Establishment act Registration							
10	Pollution Control Board Certificate							
11	Bio-Medical Waste	Authorization						
		Agreement						
12	Radio diagnostic Tie up							
	PCPNDT Act Registration							

13	Lift License							
14	AERB							
15	TLD Badge							
16	Pharmacy	MOU						
		Drug Lic.						
		Reg. no.						
17	Blood Bank	MOU						
		Lic. No.						
18	Ambulance MoU							
	RC							
	self - declaration							
19	Opium License							
20	Morphine License							
21	Surgical Spirit License							

DUTY DOCTORS

S.N.	**DOCTOR NAME**	**QUALIFICATION**	**REGISTERATION**	**DECLARATION**	**Verified and Checked**
1					
2					

SPECIALIST DOCTORS

S.N.	**BRANCH**	**DOCTOR NAME**	**REGISTERATION OF SPECIALITY**	**DECLARATION TO WORK FOR HOSPITAL**	**STATUS**	**Verified and Checked**
1						
2						
3						
4						

I hereby certify that the required documents pertaining to the points mentioned above have been duly verified as per procedure established and found to be correct to the best of my knowledge.

Dated: Signature of Chairperson
(DEC) Civil Surgeon

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की संख्या

अतारांकित प्र.सं0. 14/18/152 (14) श्री नीरज शर्मा, (फरीदाबाद एन.आई. टी):

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें किः–

क) राज्य में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों की संख्या कितनी है जिनमें आयुष्मान भारत तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत मरीजों का ईलाज हुआ तथा उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है,

ख) ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है जिनके पास व्यवसाय प्रमाण पत्र/संरचना प्रमाण पत्र/नीट एन्ड क्लीन प्रमाण पत्र/फायर अनापति प्रमाण पत्र तथा पार्किंग व्यवस्था है तथा तथा उनका जिलेवार ब्यौरा क्या है,

ग) ऐसे अस्पतालों की संख्या कितनी है जिनके पास उपरोक्त प्रमाण पत्र तथा पार्किंग व्यवस्था नहीं है तथा उसका जिलेवार ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है?

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा

श्रीमान् जी,

क) दिनांक 16.02.2024 तक आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ऐ.बी. – पी.एम.जे.ऐ.वाई.) के तहत हरियाणा में सूचीबद्ध निजी अस्पतालों की कुल संख्या 662 है। जिलेवार सूची **अनुलग्रक–ए** के रूप में संलग्न है। विस्तृत सूची https://ayushmanbharat.haryana.gov.in/ hospital-empanelment/ पर उपलब्ध है। सी.जी.एच.एस. एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण हरियाणा के दायरे में नहीं है।

ख) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी अस्पताल नामित पोर्टल (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अस्पताल एम्पैनलमेंट मापांक पोर्टल) पर प्राप्त आवेदनों और संबंधित जिला एम्पैनलमेंट समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य एम्पैनलमेंट समिति द्वारा सूचीबद्ध किया जाता है। सभी आवेदक अस्पतालों को अनिवार्य दस्तावेजो का एक सेट (चेक सूची **अनुलग्रक–बी** के रूप में संलग्न है) अपलोड करना होगा, जिनमें आधिपत्य प्रमाण पत्र, भवन मानचित्र, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रमाण पत्र और फायर एन.ओ.सी. भी शामिल है।

ग) प्रक्रिया के अनुसार, किसी भी अस्पताल को ऐसे दस्तावेजों के बिना सूचीबद्ध नही किया जाना चाहिए। जब भी किसी सूचीबद्ध अस्पताल के खिलाफ अमान्य या समाप्त हो चुके दस्तावेजों के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तब, एक जांच की जाती है, और यदि दस्तावेजों में कमी पाई जाती है, तो अस्पताल को पैनल से हटा दिया जाता है।

निजी अस्पतालों की सूची 16-02-2024 तक	
ज़िला	**निजी**
अंबाला	43
भिवानी	31
चरखी दादरी	21
फरीदाबाद	20
फतेहाबाद	19
गुरुग्राम	27
हिसार	77
झज्जर	28
जींद	18
कैथल	16
करनाल	45
कुरुक्षेत्र	32
महेंद्रगढ़	26
मेवात	2
पलवल	12
पंचकुला	13
पानीपत	54
रेवाड़ी	22
रोहतक	36
सिरसा	52
सोनीपत	35
यमुना नगर	33
कुल योग	**662**

आयुष्मान भारत हरियाणा मे हॉस्पिटल एम्पेनलमेंट के लिए चेकलिस्ट

अस्पताल का नाम : अस्पताल की आईडी :

ज़िला:

क्रमांक	लाइसेंस और प्रमाणपत्र		जारी करने वाला प्राधिकरण	सर्टिफिकेट नंबर	जारी करने की तिथि	वैधता अवधि से - तक	नवीकरण की तारीख, यदि कोई हो	सत्यापित और जाँच
1	आवेदन फार्म							
2	डी ई सी की स्वीकृति							
3	क. भवन निर्माण अनुमोदन							
	ख. आधिपत्य प्रमाणपत्र							
	ग. सी एल यू							
4	अग्निशमन विभाग मंजूरी प्रमाणपत्र/ नवीनतम अग्नि निरीक्षण प्रमाणपत्र							
5	अस्पताल पंजीकरण प्रमाणपत्र							
6	विशेषताओं का अनुरोध							
7	ऐन ऐ बी एच् / ऐन क्यू ए एस मान्यता प्रमाणपत्र							
8	बेड की संख्या							
9	नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम पंजीकरण							
10	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमाणपत्र							
11		प्राधिकार						

	बायो मेडिकल वेस्ट	समझौता						
12	रेडियो डायग्नोस्टिक टाई अप/ पी सी पी ऍन डी टी अधिनियम पंजीकरण							
13	लिफ्ट लाइसेंस							
14	ऐ ई आर बी							
15	टी एल डी बैज							
16	फार्मेसी	एम ओ यू						
		दवा लाइसेंस						
		पंजीकरण संख्या						
17	रक्त बैंक	एम ओ यू						
		अधिकार पत्र संख्या						
18	एम्बुलेंस एम ओ यू आर सी/ स्व घोषणा							
19	ओपियम लाइसेंस							
20	मॉर्फिन लाइसेंस							
21	सर्जिकल स्पिरिट लाइसेंस							

डयूटी डॉक्टर्स

क्रमांक	डॉक्टर का नाम	योग्यता	पंजीकरण	घोषणा	सत्यापित और जाँच
1					
2					

विशेषज्ञ चिकित्सक

क्रमांक	शाखा	डॉक्टर का नाम	विशेषता पंजीकरण	अस्पताल के लिए काम करने की घोषणा	स्थिति	सत्यापित और जाँच
1						
2						
3						
4						

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि उपरोक्त बिंदुओं से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को स्थापित प्रक्रिया के अनुसार विधिवत सत्यापित किया गया है और मेरे ज्ञान के अनुसार सही पाया गया है।

दिनांक

अधयक्ष के हस्ताक्षर (डी ई सी)
सिविल सर्जन